व्यावसायिक योजना

आय सृजन गतिविधि – वर्मी -कम्पोस्ट
शुभम स्वयं सहायता समूह

एसएचजी/सीआईजी नाम	::	शुभम
वीएफडीएस नाम	::	मूलकोटि
श्रेणी	::	मशोबरा
विभाजन	::	शिमला

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना
(JICA द्वारा वित्त पोषित)

के तहत तैयार:

विषयसूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ/पृष्ठ
1	पृष्ठभूमि	3
2	एसएचजी/सीआईजी का विवरण	4
3	लाभार्थियों का विवरण	5
4	गांव का भौगोलिक विवरण	6
5	आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण	6
6	उत्पादन प्रक्रियाएं	6-7
7	उत्पादन योजना	7
8	बिक्री और विपणन	7-8
9	स्वोट अनालिसिस	8-9
10	सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण	9
11	अर्थशास्त्र का विवरण	10-11
12	आर्थिक विश्लेषण का निष्कर्ष	12
१३	निधि की आवश्यकता	13
14	निधि के स्रोत	13
15	बैंक ऋण चुकौती	14
16	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन	15
17	निगरानी विधि	16
18	समूह सदस्य फ़ोटो	17
19	अनुबंध	18-20

पृष्ठभूमि

वर्मी -कम्पोस्टिंग देश में मजबूती से पैर जमा रही है। उद्यमियों द्वारा सरकारी सहायता/गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के तकनीकी मार्गदर्शन में, विशेष रूप से देश के दक्षिणी और मध्य भागों में, बड़ी संख्या में वर्मी -कम्पोस्टिंग इकाइयाँ स्थापित की गई हैं।

वर्मी -कम्पोस्टिंग के प्रत्यक्ष पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ हैं क्योंकि यह स्थायी कृषि उत्पादन और किसानों की आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कई गैर सरकारी संगठन, समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), ट्रस्ट आदि हैं जो इसके स्थापित आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों के कारण वर्मी -कम्पोस्टिंग तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं।

वर्मी कम्पोस्ट

केंचुओं के पालन/उपयोग के माध्यम से खाद का उत्पादन वर्मी -कम्पोस्टिंग तकनीक कहलाता है। इस तकनीक के तहत केंचुए बायोमास खाते हैं और इसे पचाकर बाहर निकाल देते हैं जिसे वर्मी -कम्पोस्टिंग या वर्मी -कम्पोस्ट कहते हैं। यह छोटे और बड़े दोनों तरह के किसानों के लिए खाद बनाने की सबसे सरल और लागत प्रभावी विधियों में से एक है। वर्मी -कम्पोस्ट उत्पादन इकाई किसी भी ऐसी भूमि पर स्थापित की जा सकती है जिसका कोई आर्थिक उपयोग न हो लेकिन छायादार और पानी के ठहराव से मुक्त हो। साइट जल संसाधन के नज़दीक भी होनी चाहिए

वर्मी -कम्पोस्टिंग, जिसे सही मायने में "कचरे से सोना" कहा जाता है, जैविक कृषि उत्पादन में प्रमुख इनपुट है। सरल तकनीक के कारण, कई किसान वर्मी -कम्पोस्टिंग उत्पादन में लगे हुए हैं क्योंकि यह मिट्टी के स्वास्थ्य को मजबूत करता है, मिट्टी की उत्पादकता खेती की लागत को कम करती है।

पोषक तत्वों की उच्च मात्रा के कारण वर्मी कम्पोस्ट की मांग में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है ।

1. /सीआईजी का विवरण

एसएचजी/सीआईजी नाम	::	शुभम
वीएफडीएस	::	मूलकोटि
श्रेणी	::	मशोबरा
विभाजन	::	शिमला
गाँव	::	मूलकोटि
अवरोध पैदा करना	::	मशोबरा

ज़िला	::	शिमला
एसएचजी में सदस्यों की कुल संख्या	::	8
गठन की तिथि	::	11/04/2023
बैंक खाता सं.	::	7493090468
बैंक विवरण	::	इंडियन बैंक मशोबरा
एसएचजी/सीआईजी मासिक बचत	::	100/-
कुल बचत		8000
कुल अंतर-ऋण		शून्य
नकद क्रेडिट सीमा		-
पुनर्भुगतान स्थिति		-

2. लाभार्थियों का विवरण:

क्रम. नहीं	नाम	पिता/ पति का नाम	आयु	वर्ग	आय स्रोत	पता
1	वीणा देवी	श्री धर्मपाल	32	अनुसूचित जाति	कृषि	गांव मूलकोटी डाकघर मशोबरा तहसील एवं जिला शिमला
2	दीपिका	श्री अमर दत्त	35	अनुसूचित जाति	कृषि	गांव मूलकोटी डाकघर मशोबरा तहसील एवं जिला शिमला
3	पुष्पा देवी	श्री देवेन्द्र कुमार	32	अनुसूचित जाति	कृषि	गांव मूलकोटी डाकघर मशोबरा तहसील एवं जिला शिमला
4	ममता	श्री सतपाल	34	अनुसूचित जाति	कृषि	गांव मूलकोटी डाकघर मशोबरा तहसील एवं जिला शिमला
5	सुमित्रा देवी	श्री प्रेम दास	47	अनुसूचित जाति	कृषि	गांव मूलकोटी डाकघर मशोबरा तहसील एवं जिला शिमला
6	आशा देवी	श्री प्रेम दास	51	अनुसूचित जाति	कृषि	गांव मूलकोटी डाकघर मशोबरा तहसील एवं जिला शिमला
7	रीना देवी	श्री निरमा राम	39	अनुसूचित जाति	कृषि	गांव मूलकोटी डाकघर मशोबरा तहसील एवं जिला शिमला
8	उषा देवी	श्री.कुलदीप ठाकुर	52	जनरल	कृषि	गांव मूलकोटी डाकघर मशोबरा तहसील एवं जिला शिमला

3. गांव का भौगोलिक विवरण

3.1	जिला मुख्यालय से दूरी	::	25 किमी
3.2	मुख्य सड़क से दूरी	::	10 किमी
3.3	स्थानीय बाजार का नाम एवं दूरी	::	मशोबरा 10 किमी
3.4	मुख्य बाजार का नाम एवं दूरी		शिमला 25 किमी
3.5	मुख्य शहरों के नाम एवं दूरी		शिमला 25 किमी
3.6	मुख्य शहरों का नाम जहां उत्पाद बेचा/विपणन किया जाएगा	::	हिमाचल प्रदेश वन विभाग , मशोबरा और शिमला

4. आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण

4.1	उत्पाद का नाम	::	वर्मी कम्पोस्ट
4.2	उत्पाद पहचान की विधि	::	यह गतिविधि पहले से ही कुछ एसएचजी सदस्यों द्वारा की जा रही है और समूह के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया है
4.3	एसएचजी/सीआईजी/क्लस्टर सदस्यों की सहमति	::	हाँ

5. उत्पादन प्रक्रियाओं का विवरण

कदम		विवरण
स्टेप 1	::	प्रसंस्करण में अपशिष्टों का संग्रहण, कतरना, धातु, कांच और चीनी मिट्टी की वस्तुओं का यांत्रिक पृथक्करण और जैविक अपशिष्टों का भंडारण शामिल है।
चरण दो	::	जैविक कचरे को बीस दिनों तक पूर्व-पाचन के लिए मवेशियों के गोबर के घोल के साथ ढेर करके रखा जाता है। इस प्रक्रिया से सामग्री आंशिक रूप से पच जाती है और केंचुओं के खाने के लिए उपयुक्त हो जाती है। मवेशियों के गोबर और बायोगैस घोल को सुखाने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। गीले गोबर का इस्तेमाल वर्मी -कम्पोस्ट उत्पादन के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

कदम		विवरण
चरण 3	::	वर्मी -कम्पोस्ट तैयार करने के लिए कचरे को डालने के लिए एक ठोस आधार की आवश्यकता होती है। ढीली मिट्टी से कीड़े मिट्टी में जा सकेंगे और पानी देते समय सभी घुलनशील पोषक तत्व पानी के साथ मिट्टी में चले जाएँगे।
चरण 4	::	वर्मी -कम्पोस्ट संग्रह के बाद केंचुओं का संग्रह । पूरी तरह से खाद बनी सामग्री को अलग करने के लिए खाद बनी सामग्री को छानना। आंशिक रूप से खाद बनी सामग्री को फिर से वर्मी -कम्पोस्ट बेड में डाला जाएगा।
चरण-5	::	नमी बनाए रखने और लाभकारी सूक्ष्मजीवों को विकसित होने देने के लिए वर्मी -कम्पोस्ट को उचित स्थान पर संग्रहित करें ।

6. उत्पादन योजना का विवरण

6.1	उत्पादन चक्र (दिनों में)	::	90 दिन (एक वर्ष में तीन चक्र)
6.2	प्रति चक्र आवश्यक जनशक्ति (संख्या)	::	1
6.3	कच्चे माल का स्रोत	::	घर से और अपने खेतों से
6.4	अन्य संसाधनों का स्रोत	::	मुक्त बाज़ार
6.5	कच्चा माल - प्रति चक्र आवश्यक मात्रा (किग्रा) प्रति सदस्य	::	3600 किलोग्राम प्रति चक्र
6.6	प्रति चक्र अपेक्षित उत्पादन (किग्रा) प्रति सदस्य	::	1800किग्रा प्रति चक्र

7. विपणन/बिक्री का विवरण

7.1	संभावित बाज़ार स्थान	::	हिमाचल प्रदेश वन विभाग . स्थानीय बाजार अपने खेत पर उपयोग करें
7.2	इकाई से दूरी	::	
7.3	बाज़ार/स्थानों में उत्पाद की मांग	::	हिमाचल प्रदेश वन विभाग अपनी नर्सरी के लिए बड़े पैमाने पर वर्मी -कम्पोस्ट खरीद रहा है
7.4	बाजार की पहचान की प्रक्रिया	::	विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित वर्मी -कम्पोस्ट की खरीद में सहायता

			करेगा ।
7.5	उत्पाद की विपणन रणनीति		भविष्य में बेहतर बिक्री मूल्य के लिए स्वयं सहायता समूह के सदस्य अपने गांवों के आसपास अतिरिक्त विपणन विकल्पों की भी खोज करेंगे।
7.6	उत्पाद ब्रांडिंग		सीआईजी/एसएचजी स्तर पर उत्पाद का विपणन संबंधित सीआईजी/एसएचजी की ब्रांडिंग द्वारा किया जाएगा। बाद में इस आईजीए को क्लस्टर स्तर पर ब्रांडिंग की आवश्यकता हो सकती है
7.7	उत्पाद "नारा"		"जैविक"

8. स्वोट अनालिसिस

- **ताकत**
  - कुछ एसएचजी सदस्यों द्वारा पहले से ही गतिविधि की जा रही है
  - प्रत्येक स्वयं सहायता समूह के सदस्य के पास प्रत्येक घर में 2 से 8 तक मवेशी हैं
  - स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के परिवार उच्च मूल्य वाली फसलों और सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें पूरे वर्ष कच्चे माल यानी कृषि जैविक अपशिष्ट की पर्याप्त उपलब्धता मिलती है ।
  - उनके खेतों पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है
  - विनिर्माण प्रक्रिया सरल है
  - उचित पैकिंग और परिवहन में आसान
  - परिवार के अन्य सदस्य भी लाभार्थियों का सहयोग करेंगे
  - उत्पाद का स्वयं-जीवन लंबा है
- **कमजोरी**
  - विनिर्माण प्रक्रिया/उत्पाद पर तापमान, आर्द्रता, नमी का प्रभाव।
  - तकनीकी जानकारी का अभाव
- **अवसर**
  - जैविक और प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों में जागरूकता के कारण वर्मी -कम्पोस्ट की मांग बढ़ रही है
  - अपने खेत में वर्मी -कम्पोस्ट का प्रयोग करने से मृदा स्वास्थ्य में सुधार और वृद्धि होगी तथा गुणवत्तापूर्ण कृषि उपज का उत्पादन होगा, जिससे बेहतर मूल्य मिलेगा।
  - रसोई से निकलने वाले घरेलू कचरे सहित जैविक कचरे का सर्वोत्तम उपयोग
  - एचपी फॉरेस्ट के साथ विपणन गठजोड़ की संभावना
- **खतरे/जोखिम**
  - अत्यधिक मौसम के कारण उत्पादन चक्र टूटने की संभावना

- प्रतिस्पर्धी बाजार
- प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण एवं कौशल उन्नयन में भागीदारी के प्रति लाभार्थियों में प्रतिबद्धता का स्तर

9. सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण

- **उत्पादन** - कच्चे माल की खरीद सहित इसका ध्यान व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा रखा जाएगा
- **गुणवत्ता आश्वासन** – सामूहिक रूप से
- **सफाई और पैकेजिंग** – सामूहिक रूप से
- **विपणन** – सामूहिक रूप से
- **इकाई की निगरानी** - सामूहिक रूप से

10. अर्थशास्त्र का विवरण

(वास्तविक राशि रु. में)

क्र. सं.	विवरण	इकाइयों	मात्रा/संख्या	लागत (रु.)	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
	पूंजी लागत								
1	केंचुआ बिस्तर की तैयारी (बिस्तर का आकार 10ftX10ft)	प्रति सदस्य	8	6000	48000	0	0	0	0
2	तार जाल 3x3 मिमी (4'x3' छलनी)	प्रति सदस्य	8	500	4000	0	0	0	0
3	तौल तराजू आदि।	प्रति सदस्य	8	1000	8000	0	0	0	0
	कुल पूंजीगत लागत				**60000**				
बी	**आवर्ती लागत**								
4	बीज केंचुआ	प्रति सदस्य 5 किग्रा	40	500	20000	0	0	0	0
5	घोल/गोबर/अपशिष्ट की खरीद की लागत	टन	108	900	97200	102060	107163	112521	118147
6	श्रम लागत	प्रति टन	54	700	37800	39690	41674	43757	45945
7	पैकिंग सामग्री	नहीं।	8000	2	16000	16800	17640	18522	19448
8	अन्य हैंडलिंग शुल्क	प्रति टन	54	150	8100	8505	8930	9376	9845
सी	**अन्य शुल्क**								
9	बीमा	एल/एस			0	0	0	0	0

10	ऋण पर ब्याज	प्रतिवर्ष		2 प्रतिशत	6000	6000	6000	6000	6000
	कुल आवर्ती लागत				**185100**	**173055**	**181407**	**190176**	**199385**
	कुल लागत = पूंजी और आवर्ती				**245100**	**173055**	**181407**	**190176**	**199385**
डी	**वर्मीकम्पोस्टिंग से आय**								
11	**वर्मी -कम्पोस्ट की बिक्री**	टन	54	**6000**	**324000**	**340200**	**357210**	**375070**	**393823**
12	**केंचुओं की बिक्री**					**10000**	**20000**	**20000**	**20000**
१३	**कुल मुनाफा**				**324000**	**354200**	**377210**	**395070**	**413823**
14	शुद्ध रिटर्न (डीसी)				**138900**	**181145**	**195803**	**204894**	**214438**

नोट – चूंकि श्रम कार्य स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा किया जाएगा और उनके स्थान पर पहले से ही स्लरी/गोबर/अपशिष्ट उपलब्ध है और इन सामग्रियों की खरीद उनके द्वारा नहीं की जाएगी , इसलिए आवर्ती लागत (श्रम लागत, स्लरी/गोबर/अपशिष्ट की खरीद की लागत) को कुल आवर्ती लागत से घटाया जा सकता है।

आर्थिक विश्लेषण

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
1	पूंजी लागत	**60000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	आवर्ती लागत	**185100**	**173055**	**181407**	**190176**	**199385**
3	कुल लागत	**245100**	**173055**	**181407**	**190176**	**199385**
4	कुल लाभ	**324000**	**354200**	**377210**	**395070**	**413823**
5	**शुद्ध लाभ**	**78900**	**181145**	**195803**	**204894**	**214438**

शुद्ध लाभ का वितरण - उत्पादन में हिस्सेदारी के अनुसार।

11. आर्थिक विश्लेषण के निष्कर्ष

- प्रत्येक सदस्य के लिए गड्ढे का आकार 10X10 फीट निर्धारित किया गया है।
- वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन की लागत 3.5 रुपये प्रति किलोग्राम आती है
- वर्मी कम्पोस्ट (कंजरवेटिव साइड) की बिक्री 6 रुपये प्रति किलोग्राम है
- शुद्ध लाभ 2.5 रुपये प्रति किलोग्राम होगा
- यह प्रस्तावित है कि प्रत्येक सदस्य प्रति वर्ष 5.4 टन वर्मी -कम्पोस्ट का उत्पादन करेगा , जिसके परिणामस्वरूप 54 टन उत्पादन होगा। एक वर्ष में स्वयं सहायता समूह के सभी 10 सदस्यों द्वारा वर्मी कम्पोस्ट तैयार किया जाएगा।
- केंचुए की कीमत 500.00 रुपये प्रति किलोग्राम रखी गई है
- वर्मी -कम्पोस्ट के उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान इसकी मात्रा बढ़ जाएगी)
- वर्मी -कम्पोस्ट बनाना एक लाभदायक आईजीए है और इसे स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा अपनाया जा सकता है।

12. निधि की आवश्यकता:

क्रम सं.	विवरण	कुल राशि (रु.)	परियोजना समर्थन	एसएचजी योगदान
1	कुल पूंजी लागत	60000	45000	15000
2	कुल आवर्ती लागत	185100	0	185100
3	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन	50000	50000	0
	कुल =	**295100**	**95000**	**200100**

टिप्पणी-

- **पूंजीगत लागत** - परियोजना के अंतर्गत पूंजीगत लागत का 7.5% कवर किया जाएगा
- **आवर्ती लागत** - एसएचजी/सीआईजी द्वारा वहन की जाएगी।
- **प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन** - परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा

13. निधि के स्रोत:

परियोजना समर्थन;	• गड्ढे और शेड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा (आकार 10 फीट X 4 फीट X 2 फीट होगा) • स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में एक लाख रुपये तक की धनराशि जमा की जाएगी। • प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/ कौशल	कोडल औपचारिकताओं का पालन करने के बाद सामग्री की खरीद /निर्माण का कार्य संबंधित डीएमयू/एफसीसीयू द्वारा किया जाएगा ।

	उन्नयन लागत। • 5% ब्याज दर की सब्सिडी सीधे डीएमयू द्वारा बैंक/वित्तीय संस्थान में जमा की जाएगी और यह सुविधा केवल तीन वर्षों के लिए होगी। स्वयं सहायता समूहों को नियमित आधार पर मूलधन की किश्तों का भुगतान करना होगा।	
एसएचजी योगदान	• पूंजीगत लागत का 25% हिस्सा स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन किया जाएगा। • आवर्ती लागत स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाएगी	

14. बैंक ऋण चुकौती

यदि ऋण बैंक से लिया गया है तो यह नकद ऋण सीमा के रूप में होगा और सीसीएल के लिए कोई पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है; तथापि, सदस्यों से मासिक बचत और पुनर्भुगतान रसीद सीसीएल के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए।

- सीसीएल में, एसएचजी के बकाया मूल ऋण का भुगतान वर्ष में एक बार बैंकों को किया जाना चाहिए। ब्याज राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए।
- सावधि ऋणों में, पुनर्भुगतान बैंकों में निर्धारित पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार किया जाना चाहिए।
- परियोजना सहायता - 5% ब्याज दर की सब्सिडी सीधे डीएमयू द्वारा बैंक/वित्तीय संस्थान में जमा की जाएगी तथा यह सुविधा केवल तीन वर्षों के लिए होगी। एसएचजी/सीआईजी को नियमित आधार पर मूलधन की किस्तों का भुगतान करना होगा।

15. प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन की लागत परियोजना द्वारा वहन की जाएगी।

निम्नलिखित कुछ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन प्रस्तावित/आवश्यक हैं:

- परियोजना अभिविन्यास समूह गठन/पुनर्गठन
- समूह अवधारणा और प्रबंधन
- आईजीए का परिचय (सामान्य)
- विपणन और व्यवसाय योजना विकास
- बैंक ऋण लिंकेज एवं उद्यम विकास
- एसएचजी/सीआईजी का एक्सपोजर दौरा – राज्य के भीतर और राज्य के बाहर

16. निगरानी तंत्र

- वीएफडीएस की सामाजिक लेखा परीक्षा समिति आईजीए की प्रगति और निष्पादन की निगरानी करेगी तथा प्रक्षेपण के अनुसार इकाई का संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देगी।
- स्वयं सहायता समूह को प्रत्येक सदस्य की आईजीए की प्रगति और निष्पादन की समीक्षा करनी चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए ताकि इकाई का संचालन अनुमान के अनुसार सुनिश्चित हो सके।

ग्रुप के सदस्यों की फोटो –

Annexure I

Resolution-cum-Group Consensus Form

It is decided in the General House Meeting of the group....Shubham........held on..02/01/2023.at.....Moolkoti.......that our group will undertake.....Vermi-composting............as Livelihood Income Generation Activity under the Project for Improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management & Livelihoods (JICA assisted).

Deena Deepika
सचिव
Signature of Group Pradhan
शुभम स्वयं सहायता समूह
मूलकोटी

Deepika
Deena
Signature of Group Secretary
प्रधान
शुभम स्वयं सहायता समूह
मूलकोटी

Business Plan approved by VFDS

......Shubham........SHG group will undertake.....Vermi-composting............as Livelihood income generation activity under the Project for Improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management & Livelihoods (JICA assisted). In this regard Business Plan of ₹...3,95,100../- has been submitted by this group on dated...02/01/2023and this Business Plan has been approved by VFDS....Moolkoti...................

Business Plan with SHG resolution is being submitted to DMU through FTU for further necessary action please.

Signature of VFDS President

President
Village Forest Development Society
Moolkoti

Signature of VFDS Secretary

Secretary
Village Forest Development Society
Moolkoti

Annexure III

Submitted to DMU through FTU

Range Forest Officer
Mashobra Forest Range
Mashobra, Shimla-7

Name & Signature of FTU Officer

Name & Signature of FTU Coordinator

Name & Signature of DMU Officer

DFO-cum-DMU Officer,
JICA Forestry Project,
Shimla